118
26/05/2020

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2020 / 1625

दिनांक : 20/5/2020

सेवा में,

1. प्रो0 अनूप कुमार, विभाग– प्रोढ़ शिक्षा, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। –आचार्य
2. प्रो0 अशुतोष सिंन्हा, विभाग–अर्थशास्त्र एवं ग्रा0वि0, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध वि0वि0, अयोध्या। –विशेषज्ञ सदस्य
3. डॉ0 अतुल सिंह, विभाग–राजनीति शास्त्र, एल0बी0एस0 पी0जी0 कालेज, गोण्डा। –विशेषज्ञ सदस्य
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, स्मृति उपवन, विजली पासी किला, आलमबाग, लखनऊ। –सदस्य / सचिव

विषयः–*धर्मा देवी बद्री प्रसाद स्मारक महाविद्यालय, कुड़वार–सुल्तानपुर* को *स्नातक / परास्नातक स्तर पर कला संकाय* के अन्तर्गत **बी0ए0 अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, भूगोल, कला, अर्थशास्त्र एवं एम0ए0 गृहविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र विषयों में** स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020–21 से सम्बद्धता *(अस्थाई)* प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जाये, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन चहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुमोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार वांछित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की रिकार्डिंग सम्मिलित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पर्ण निरीक्षण की दो सी0डी0 भी प्रेषित की जाय। (सूर्यास्त के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न बिन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है–

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि।
2. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से संबन्धित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार / उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
3. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अंकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
6. सोसायटी / ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संस्था की विगत तीन वर्षो की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट अन्यथा की स्थिति में तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसायटी / महाविद्यालय के बचत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
8. मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने की स्थिति।
9. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण / प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का 50 रूपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा 2f में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठयकम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति तथा विगत तीन वर्षो का परीक्षाफल।
12. पूर्व संचालित पाठ्यकम / पाठ्यकमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट स्थिति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहितः–

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

दिनांक : 2020

संख्या : लो0अ0वि0 / सम्ब0 / 2020 /

सेवा में,

1. प्रो0 अनूप कुमार, विभाग– प्रोढ़ शिक्षा, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या। –आचार्य
2. प्रो0 अशुतोष सिंन्हा, विभाग–अर्थशास्त्र एवं ग्रा0वि0, डॉ0 राममनोहर लोहिया अवध वि0वि0, अयोध्या। –विशेषज्ञ सदस्य
3. डॉ0 अतुल सिंह, विभाग–राजनीति शास्त्र, एल0बी0एस0 पी0जी0 कालेज, गोण्डा। –विशेषज्ञ सदस्य
4. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, स्मृति उपवन, बिजली पासी किला, आलमबाग, लखनऊ। –सदस्य / सचिव

विषयः–*धर्मा देवी बद्री प्रसाद स्मारक महाविद्यालय, कुड़वार–सुल्तानपुर* को *स्नातक / परास्नातक स्तर पर कला संकाय* के अन्तर्गत **बी0ए0 अतिरिक्त शिक्षा शास्त्र, भूगोल, कला, अर्थशास्त्र एवं एम0ए0 गृहविज्ञान, हिन्दी, समाजशास्त्र, राजनीतिशास्त्र विषयों में** स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत सत्र 2020–21 से सम्बद्धता ***(अस्थाई)*** प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण कर निरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में है।

महोदय / महोदया,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में सूचित करना है कि उक्त महाविद्यालय के प्रबन्धक के प्रेषित प्रस्ताव के अनुरोधानुसार वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में सम्बद्धता प्रदान करने हेतु माननीय कुलपति जी ने आपको महाविद्यालय के निरीक्षणार्थ निरीक्षक मण्डल का सदस्य नामित करने की कृपा की है।

अतः आप से अनुरोध है कि संलग्न प्रारूप के अनुसार महाविद्यालय का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी निरीक्षण आख्या दो प्रतियों में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। यह भी सूच्य है कि निरीक्षक मण्डल द्वारा एक साथ एक ही तिथि में महाविद्यालय का निरीक्षण किया जायेगा। निरीक्षक मण्डल के सदस्य महाविद्यालय के सम्पूर्ण निर्मित भवन के साथ अपनी फोटो खिचवायेंगे, जिसे हस्ताक्षर सहित निरीक्षण आख्या में संलग्न किया जायेगा। सम्पूर्ण निरीक्षण की निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के साथ वीडियोग्राफी करायी जाये, जिसमें महाविद्यालय का पूर्ण भवन चहारदीवारी, गेट, शिक्षण कक्षों, प्रयोगशाला कक्षों (उपकरणों सहित) अनुमोदित शिक्षकों एवं मानकानुसार वांछित अन्य अवस्थापना सुविधाओं की रिकार्डिंग सम्मिलित हों तथा निरीक्षण मण्डल की आख्या के साथ सम्पर्ण निरीक्षण की दो सी0डी0 भी प्रेषित की जाय। (सूर्यास्त के पश्चात किसी भी दशा में निरीक्षण कार्य न किया जाए)

निम्न बिन्दुओं पर निरीक्षक मण्डल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या देना अनिवार्य है–

1. महाविद्यालय को संचालित करने वाले समिति के पंजीकरण एवं वैधता की तिथि।
2. महाविद्यालय की मानकानुसार भूमि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित होने से संबन्धित खतौनी मूलरूप में या छायाप्रति तहसीलदार / उपजिलाधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति।
3. महाविद्यालय की भूमि के समस्त गाटों का संयुक्तता प्रमाण पत्र सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित एवं नजरी नक्शा मूलरूप में सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित होने की स्थिति, महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि का विवरण गाटाओं एवं क्षेत्रफल सहित अंकित किया जाए।
4. महाविद्यालय को प्रश्नगत पाठ्यक्रम में अनापत्ति प्रदान किये जाने के आदेश संख्या एवं तिथि, अंकित की जाए तथा महाविद्यालय को दी गयी अनापत्ति जिसमें गाटों का उल्लेख किया गया है, क्या उसी गाटाओं पर महाविद्यालय निर्मित है अथवा नहीं।
5. महाविद्यालय नगर निगम, नगर पालिका व नगर पंचायत ने अवस्थित होने की स्थिति में संदर्भगत निकाय के सक्षम अधिकारी का मूल प्रमाण पत्र उपलब्ध होने की स्थिति।
6. सोसायटी / ट्रस्ट की वार्षिक आय का प्रमाण पत्र तथा संस्था की विगत तीन वर्षों की सी0ए0 द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट अन्यथा की स्थिति में तहसीलदार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।
7. मानकानुसार सोसायटी / महाविद्यालय के बचत खाते में अद्यतन जमा धनराशि।
8. मानकानुसार प्राभूत धनराशि जमा होने की स्थिति।
9. प्रबन्ध तंत्र के द्वारा आवेदन पत्र में अंकित विवरण / प्रविष्टियां तथ्यों पर आधारित एवं सही है का 50 रूपये के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र मूल रूप में होने की स्थिति।
10. स्नातकोत्तर विषयों हेतु यू0जी0सी0 की धारा 2f में पंजीकृत होने की स्थिति।
11. महाविद्यालय में पूर्व संचालित पाठ्यक्रम व विषयों की स्थायी सम्बद्धता प्राप्त होने की स्थिति तथा विगत तीन वर्षों का परीक्षाफल।
12. पूर्व संचालित पाठ्यक्रम / पाठ्यक्रमों हेतु शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला पुस्तकालय व अन्य अवस्थापना सम्बन्धी मानक पूर्ण होने की स्पष्ट स्थिति, कक्ष आदि के निम्नानुसार विवरण सहितः–

दूरभाष – 05278-245957
फैक्स – 05278-248123

डा0 राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या (उ0प्र0)

968/सत्तर–6–2016–100(18)/2016 दिनांक 12 मई 2016 के निर्देशानुसार निरीक्षक मण्डल/सदस्य पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षक मण्डल के सदस्यों के समस्त व्यय जिसमें टी0ए0/डी0ए0 एवं अन्य व्यय सम्मिलित है का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा वहन किया जायेगा । निरीक्षक मण्डल इस आशय का भी एक प्रमाण पत्र उपलब्ध करायेगा कि निरीक्षक मण्डल के किसी सदस्य/सदस्यों द्वारा महाविद्यालय से निरीक्षण हेतु विधिक रूप से अमान्य/नियमों के विपरीत कोई धनराशि नहीं ली गयी है। निरीक्षक मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या (निरीक्षण आख्या के अनुसार प्रपत्र/अभिलेख संलग्न कर) क्षेत्रीय उच्च शिक्षाधिकारी/राजकीय महाविद्यालय के प्राचार्य के माध्यम से विश्वविद्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

नोटः–उल्लिखित बिन्दु संख्या 12 एवं 13 के सम्बन्ध में निरीक्षण मण्डल के द्वारा गम्भीरता से निरीक्षण कर पृथक–पृथक प्रविष्टि स्पष्ट रूप से स्वयं अंकित की जाये।

कोरोना वायरस (कोविड–19) से बचाव सम्बंधी भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/एडवाइजरी का पूर्णतः पालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण सम्पन्न किया जाएगा।यह निरीक्षण कोविड–19 के दृष्टिगत शासन/जिला प्रशासन के आवागमन शर्तों व अन्य प्रतिबन्धों के अधीन होगा।

भवदीय,

उप–कुलसचिव

प्रतिलिपिः–1. प्रबन्धक/सचिव (*धर्मा देवी बद्री प्रसाद स्मारक महाविद्यालय, कुड़वार–सुल्तानपुर*) को इस आशय से प्रेषित है कि कृपया निरीक्षण मण्डल के सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करें, निरीक्षण मण्डल को निरीक्षण में सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें अन्यथा की स्थिति में समस्त उत्तरदायित्व महाविद्यालय का होगा। निरीक्षण होने सम्बन्धी सूचना अथवा अन्य सन्दर्भित सूचना तिथि सहित 03 कार्य दिवसों की अवधि में विश्वविद्यालय को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। कोविड–19 से बचाव सम्बंधी शासन की एडवाइजरी का अनुपालन करते हुए सुरक्षात्मक उपायों के साथ निरीक्षण की कार्यवाही सम्पन्न करायी जाएगी।

2. प्रोग्रामर, ई0डी0पी0 सेल को इस आशय से प्रेषित है कि उक्त प्रति महाविद्यालय के लॉग–इन पर अपलोड करन का कष्ट करें।

उप–कुलसचिव